(188)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अध्यक्ष/निगरानी/नीमच/भूरा/2017/3206 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22.08.2017 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 851/अपील/2016—17.

.....

मनोज पुत्र स्व. श्री मोहनलाल धाकड़
निवासी महु रोड नीमच तहसील व
जिला नीमच म0 प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

राणा देवी पत्नी श्री रतनसिंह राजपूत
निवासी नीमच सिटी तहसील व
जिला नीमच म0 प्र0

———अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अमित भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 25-2-19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2—प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार नीमच के समक्ष मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नीमच सिटी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 2233 रकबा 0.105 हैक्टर का सीमांकन दिनांक 2.5.2013 को

किया गया जिसमें अनावेदिका की भूमि में सर्वे कमांक 2222 के पश्चिम में 0.80 जरीब व दक्षिण में सर्वे नम्बर 2222 के पश्चिम में 0.40 जरीब (सर्वे नम्बर 2233 की भूमि पर) आवेदक का कब्जा पाया गया, जिसे वापिस दिलाये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 11.09.2015 से अनावेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जादिलाये जाने बावत् आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 11.9.15 से दुखित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नीमच केसमक्षअपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर दिनांक 8.11.16 से अपील निरस्त की गई जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 581/अपील/2016–17 पर दर्ज कर दिनांक 22.08.2017 को निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं अनावेदक ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं के भूमि स्वामी के संबंध में को दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये हैं वह अपास्त किये जानें योग्य हैं। तर्क में यह भी कहा गया है कि विवादित भूमि नक्शा विहीन है जिसकी पुष्टि मौजा पटवारी ने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है वह नक्शा विहीन ग्राम का सीमांकन किया जाना अपने आप में त्रुटिपूर्ण है । इस तथ्य को अनावेदक के साक्षी मौजा पटवारी व चौकीदार राजस्व निरीक्षक द्वारा भी अपने कथनों में स्वीकार किया है कि पडोसी कृषकों सूचना के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं हे इस प्रकार पडोसी कृषक सीमांकन के समय उपस्थित नहीं है ऐसी स्थिति में किया गया सीमांकन स्वतः ही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि मौजा पटवारी से भूमि के सीमांकन बावत नक्शा ट्रेस की मांग की गई तो पटवारी ने जो नक्शा ट्रेस प्रदान किया है वह जीर्णक्षीण है और सीमांकन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में जो सीमांकन कराया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन के दौरान न्यायालय में यह स्पष्ट कर दिया

था कि ग्राम मौजा नीमच सिटी की भूमि सर्वे कमांक 2222 एक मात्र आवेदक की भूमि नहीं होकर उप पर अन्य 23 खातेदारों के नाम अंकित हैं जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि का भूमि स्वामी आवेदक के साथ–साथ अन्य 23 लोग हैं ऐसी स्थिति में आवेदक को तथा कथित सूचना पत्र देकर जो कार्यवाही की गई है वह विधिवत नहीं है, ऐसी स्थिति में जो कार्यवाही एवं आदेश सभी सहखातेदारों के पक्षकार बनाये बिना संहिता की धारा 250 के अंतर्गत की गई है वह स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है, क्यों कि अनावेदक को अपने आवेदन पत्र में यह सिद्व करने का भार उन पर था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि विवादित भूमि सर्वे कमांक 2222 एक मात्र आवेदक की नहीं होकर 23 अन्य खातेदार भी राजस्व अभिलेख में है ऐसे में एक मात्र आवेदक पर धारा 250 का आवेदन प्रथम दृष्ट्या ही विधि विपरीत था जिस पर विचार न कर जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये है वह अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि पटवारी मौजा द्वारा एवं तहसीलदार द्वारा धारा 129 का पालन करने के पश्चात ही सीमांकन की कार्यवाही की गई है, और अनावेदिका की भूमि आवेदक के सर्वे कमांक में अधिक पाई गई है जिसे दिलाने हेतु तहसीलदार के समक्ष धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो उनके द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी नीमच एवं अपर आयुक्त उज्जैन द्वारा भी स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश स्थिर रखा जावे।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ कमांक 42 पर संलग्न पंचनामा दिनांक 2.5.13 में स्पष्ट रूप से लेख किया गया है कि राणा देवी की सर्वे भूमि 2233/0.105 का सीमांकन करने हेतु राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 एवं नीमच मौजा पटवारी मौका

स्थल पर एवं ग्राम कोटवार उपस्थित थे। कोटवार द्वारा बताया गया था कि मनोज पिता श्री मोहनलाल धाकड़ को सीमांकन की सूचना से अवगत कराया गया उनके द्वारा सूचना पत्र लेने से इनकार किया गया। इससे यह तो स्पष्ट कि आवेदक को सीमांकन की जानकारी थी और आवेदक की भूमि में अनावेदिका की भूमि सर्वे नम्बर 2233 पर बागड़ लगाकर कब्जा किया गया है। इसलिये तहसीलदार द्वारा आवेदक मनोज पिता मोहन धाकड़ को आदेश दिनांक 11.9.15 को अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 2233 रकबा 1.05 है0 भूमि पर बागड़ लगाकर किया कब्जा हटाने के आदेश दिये गये थे जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी नीमच द्वारा की गई है। अतः तहसीलदार द्वारा किये गये सीमांकन की कार्यवाही को आवेदक द्वारा अन्य किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर तथा प्रकरण में साक्ष्य आदि अंकित कर ही आदेश पारित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा प्रमाणित पाया गया है जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त उज्जैन द्वारा भी अपने आदेश में की गई है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गंजाइश प्रतीत नहीं होती है। **तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश हैं। उसमें हस्तक्षेप की आवकश्यकता नहीं ।**

R-N – 2014 page 227 Nasirunnisha verses Mohan lal and others land revenue code 1959 M.P. sec. 50 concurrent findings of three courts below –no interference called for in Revision.

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 581/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 22.08.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर